न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 55/2025(GCMS : 2025/70)

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई 400051 तथा **शाखा कार्यालय**–श्रीगंगानगर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास

बनाम

1. **सुदेश कुमार सर्वा** पुत्र श्री राम प्रताप निवासी पता 40 ए ब्लॅक, वार्ड नं. 20, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर एवं **सम्पत्ति** पता किला नं. 10, मुरब्बा नं. 06 (नया), 36(पुराना) पास वेस्ट साईड सिटी पार्क चक 25 पीएसबी वार्ड नं. 01, रायसिंहनगर प्लॉट नं. 72 कुल वर्गफीट 1710 जिला श्रीगंगानगर
2. **भंवरी देवी** पत्नी श्री सुदेश कुमार सर्वा निवास पता पता 40 ए ब्लॅक, वार्ड नं. 20, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.03.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राकेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी को ऋण सुविधा के रूप में 16.80/–लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.05.2018 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 16.03.2022 को 13,52,545/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति किला नं. 10, मुरब्बा नं. 06 (नया) 36 पुराना पास वेस्ट साईट सिटी पार्क, चक 25 पीएस''बी'' वार्ड नं. 01, रायसिंहनगर, प्लॉट नं. 72 श्रीगंगानगर (जिसके उत्तर में रोड़, दक्षिण में अन्य प्लॉट, पूर्व में प्लॉट एवं पश्चिम में श्री अवतार सिंह रोमाना),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:30:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी** को ऋण सुविधा के रूप में 16.80/—लाख रूपये **(अखरे रूपये सोलह लाख अस्सी हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 21.05.2018 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी ने अपनी अचल सम्पत्ति **किला नं. 10, मुरब्बा नं. 06 (नया) 36 पुराना पास वेस्ट साईट सिटी पार्क, चक 25 पीएस"बी" वार्ड नं. 01,** रायसिंहनगर, **प्लॉट नं. 72 जिला श्रीगंगानगर (जिसके उत्तर में रोड़, दक्षिण में अन्य प्लॉट, पूर्व में प्लॉट नं. 71 एवं पश्चिम में श्री अवतार सिंह रोमाना),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 02.02.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/**जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी की अचल सम्पत्ति किला नं. 10, मुरब्बा नं. 06 (नया) 36 पुराना पास वेस्ट साईट सिटी पार्क, चक 25 पीएस''बी'' वार्ड नं. 01,** रायसिंहनगर, **प्लॉट नं. 72 जिला श्रीगंगानगर (जिसके उत्तर में रोड़, दक्षिण में अन्य प्लॉट, पूर्व में प्लॉट नं. 71 एवं पश्चिम में श्री अवतार सिंह रोमाना),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.03.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.03.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.03.2022 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गये है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।** इसलिए ऋण सुरक्षा की एवज में ऋणी **सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुदेश कुमार सर्वा एवं भंवरी देवी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति किला नं. 10, मुरब्बा नं. 06 (नया) 36 पुराना पास वेस्ट साईट सिटी पार्क, चक 25 पीएस"बी" वार्ड नं. 01, रायसिंहनगर, प्लॉट नं. 72 जिला श्रीगंगानगर (जिसके उत्तर में रोड़, दक्षिण में अन्य प्लॉट, पूर्व में प्लॉट नं. 71 एवं पश्चिम में श्री अवतार सिंह रोमाना), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:30:03 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर